न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

राम सिंह बनाम उर्मिला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दीवानी प्रकरण 2/2025
09.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी प्रकरण मे साक्ष्य पेश नही करना चाहते। अतः साक्ष्य वादी बन्द की जाती है। वकील वादी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 26.06.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
26.06.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा, तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का प्रमाणित नहीं होने से न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
02 / 2025	2025 / 008	09.01.2025	26.06.2025

उनवान प्रकरण

1. कानसिंह पुत्र हरिसिंह आयु 65 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—वादी—

बनाम्

1. सुशीला कॅवर पुत्री भॅवर सिंह
2. औमप्रकाश सिंह पुत्र अनोप सिंह
3. छगन कॅवर पत्नी अनोप सिंह
4. पृथ्वी सिंह पुत्र अनोप सिंह
5. पिंकी कॅवर पुत्री अनोप सिंह
6. मुकुट कॅवर पुत्री अनोप सिंह
7. रघुवीर सिंह पुत्र अनोप सिंह
8. संतोष कॅवर पुत्री अनोप सिंह
9. दयाल सिंह पुत्र स्व. रूपसिंह
10. पूरणसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

11. प्रकाश कँवर पुत्री स्व0 रूपसिंह

12. सुरज्ञान कँवर पुत्री स्व. रूपसिंह

13. मंजू कँवर पुत्री स्व. रूपसिंह

14. सरोज पत्नी स्व. युवराजसिंह पुत्रवधु स्व0 रूपसिंह

15. पायल पुत्री युवराजसिंह पौत्री स्व. रूपसिंह

16. खुशी पुत्री युवराजसिंह पौत्री स्व. रूपसिंह

17. वशु पुत्री युवराजसिंह पौत्री स्व. रूपसिंह

18. राधिका पुत्री युवराजसिंह पौत्री स्व. रूपसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

19. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

20. मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (भारतीय स्टेट बैंक) शाखा मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :—

श्री लोकेन्द्र सिंह, एड0 वादीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 19 की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

वाद पत्र बाबत् घोषणा, [illegible] एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88 राज. [illegible] अधि. 1955)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887 कुल किता 9 कुल रकबा 5.88 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम बागरियावास पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के राजस्व रिकार्ड में 3/8 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है एव 1/8 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम दर्ज है एव बाकी हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एव प्रतिवादी संख्या 9 ता 18 के पिता–ससुर–दादा स्वर्गीय रूपसिंह पुत्र हनुमान सिंह के नाम अंकित हिस्सानुसार दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमि में वादी प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिए वादी उक्त हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त कृषि भूमियों का मौके पर पक्षकारान् ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार वादी अपनी हक हिस्सा, खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 880 रकबा 2.4400 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 884 रकबा 1.5500 हैक्टर पर मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा है एंव अपनी उक्त भूमि को कई लाखों रूपये खर्च करके एंव मेहनत करके विकसित व उपजाउ बना रखी है। इसलिए वादी भूमियों का मौके के बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त अनुसार विधिक विभाजन करवाकर उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अलग से दर्ज करवाकर अलग से लगान कायम करवाने का अधिकारी है एव प्रतिवादीगण को वादी की भूमि के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्तानुसार भूमि की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] एव उक्त भूमियों का मौके के बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त अनुसार [illegible] हेतु कहा तो पहले आश्वासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

देते रहे परन्तु दिनांक 25.12.2024 को इन्कार हो जाने एंव वादी की कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत करने की धमकी दी जाने पर वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि घोषणा, तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की पारित की जावे कि तन ग्राम बागरियावास पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887 कुल किता 9 कुल रकबा 5.88 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड 1/8 हिस्से की खातेदारी से प्रतिवादिया संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एंव भूमियों का पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 18 के मध्य मौके के कदीमी बाहमी बंटवारा एंव कब्जा काश्त अनुसार विधिक तकास्मा करवाया जाकर वादी को उसकी हक हिस्सा व खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 880 रकबा 2.4400 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 884 रकबा 1.5500 हैक्टर का अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन वकील वादी ने अपने वादपत्र में किया हैं।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये साधारण तरीके/रजिस्टर्ड डाक से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में वकील वादी साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया। वकील वादी ने वादपत्र में साक्ष्य वादी बन्द हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं राजस्व रिकॉर्ड अतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तन ग्राम बागरियावास पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887 कुल किता 9 कुल रकबा 5.88 हैक्टर के 3/8 हिस्से की खातेदारी वादी के एंव 1/8 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एंव शेष हिस्से की खातेदारी अन्य प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्तांकित भूमियों में वादी द्वारा प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम दर्ज 1/8 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होने से उसके 1/8 हिस्से की भूमि से प्रतिवादिया संख्या 1 का नाम हजफ करवाया जाकर खातेदारी बाहमी बॅटवारा अनुसार अपने हक हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 880 रकबा 2.4400 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 884 रकबा 1.5500 हैक्टर का अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने बाबत वादपत्र का पेश किया जाना प्रकट होता है। जिसके विश्लेषण से स्पष्ट है कि :–

1. वादी द्वारा मात्र काबिज होने के कथन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर स्वंय के नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है जबकि काबिज होने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से कोई रजिस्टर्ड विक्रय लेख, दान लेख, उपहार लेख, वसीयत या सहमति/समझौता इत्यादि कोई दस्तावेजात् पेश नहीं किया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वादी द्वारा किन आधारों पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ करवाया जाकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग की गई है।
2. दूसरा वादी की प्लीडिंग के अनुसार यदि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि वादी को दे दी भी जावे तब भी वादी का हिस्सा कुल भूमि का 1/2 भाग अर्थात 2.94 हैक्टर ही बनता है, जबकि वादी द्वारा [illegible] कृषि भूमि खसरा नम्बर 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887 कुल किता 9 कुल रकबा 5.88 हैक्टर में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

भूमि खसरा नम्बर 880 रकबा 2.44 हैक्टर व खसरा नम्बर 884 रकबा 1.55 हैक्टर अर्थात कुल रकबा 3.99 हैक्टर के खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। इस प्लीडिंग में चाहे गये अनुतोष से अधिक भूमि की घोषणा चाह रहे है जो दावें में कहीं से भी प्रमाणित नहीं है एंव ना ही प्लीडिंग और अनुतोष में साम्यता है।

3. वादी द्वारा खसरा नम्बर 880 व 884 को अपने बाहमी बंटवारे में आना बता रहा है जबकि इस बाबत कोई लिखित या मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित नहीं होने से न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा, तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रमाणित नहीं होने से इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:45 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)